International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor- 5.414, Volume 4, Issue 11, November 2017
Website- www.aarf.asia, **Email** : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

पाकिस्तान की घरेलू राजनीतिक संरचना का सूक्ष्म अवलोकन

अमित कुमार सिंह शोध छात्र (जे0आर0एफ0)
राजनीति विज्ञान विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सारांश

पाकिस्तान का निर्माण ही धर्म के आधार पर हुआ था। जिस राज्य में कट्टरपंथी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं एवं उनकी जड़ें धार्मिक संस्थाओं के अतिरिक्त सैनिक संस्थाओं तक पहुंच जाती है, वहाँ प्रजातंत्र का अन्त निश्चित है। कट्टरपंथी ताकतें एवं सैनिक जनरल इस तरह ताना–बाना बुनते हैं कि उसमें फंसकर प्रजातंत्र का दम घुटने लगता है और वह मृतप्राय हो जाता है। उपमहाद्वीप में इस्लामी व्यवस्था लाने के लिए महान उर्दू कवि अल्लामा–इकबाल को अक्सर याद किया जाता है उनके दादा जो एक सप्रू हिन्दू थे, ने कई बाध्यकारी कारणों से इस्लाम को ग्रहण किया। इकबाल सर तेजबहादुर सप्रू के चचेरे भाई थे। एक समय वह भजन लिखते थे और दूसरे अवसर पर वह द्विराष्ट्र सिद्धान्त की बात करते थे। अतः इस परिप्रेक्ष्य में भारत–पाक संबंधों के अध्ययन में पाकिस्तान की घरेलू राजनीति का सूक्ष्म अवलोकन आवश्यक हो जाता है।

7 अक्टूबर 2007 के अल अरबिया टीवी से इन्टरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि इस्लाम अमन की तालीम देने वाला मजहब है इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी ताकतें एवं आतंकवादी इस मजहब की गलत व्याख्या करते हैं जिसके चलते इस्लाम धर्म पर पश्चिमी देशों के लोगों का विश्वास कम हुआ है।[प] एक मुस्लिम राज्य की अवधारणा को सर्वप्रथम इकबाल ने 29 दिसम्बर 1930 को मुस्लिम लीग के इलाहाबाद

© Associated Asia Research Foundation (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान अभिव्यक्त किया। उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में एक मुस्लिम राज्य के निर्माण की आवश्यकता के विभिन्न कारण बताए और कहा कि ऐसा राष्ट्र विदेशी आक्रमण से भारत को सुरक्षा प्रदान करेगा, परन्तु यह एक बेकार तर्क था। दूसरा तर्क यह था कि पूरे भारत में हिन्दुओं के साम्प्रदायिक प्रभुत्व के कारण मुसलमानों का स्वतंत्र विकास असंभव है। दूसरा तर्क भी महत्वहीन था। इस प्रकार इकबाल ने धर्म के आधार पर अलग राज्य की मांग की।[पप] जिन्ना कांग्रेस की सदस्यता में रहते हुए सन् 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। 16 अगस्त 1946 में बम्बई अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया। सीधी कार्यवाही द्वारा हिंसा की अनुमति देकर जिन्ना ने कानून का पालन करने के अपने ही सिद्धान्त का उल्लंघन किया। इसके बाद बृहद कलकत्ता जनसंहार हुआ जिसमें हजारों हिन्दुओं का कत्ल हुआ। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि जिन्ना अपने जीवन के अन्तिम समय में अपनी बहन फातिमा जिन्ना के प्रभाव में रहे और उन्होंने भी कट्टरपंथियों को मौन स्वीकृति प्रदान कर राजनीति को हिंसक बना दिया, जिससे सुन्नी कट्टरवादियों की मुस्लिग लीग में पकड़ और मजबूत हुई।

पाकिस्तान की आजादी के बाद इस्लाम पसन्द दलों का राजनीतिक एजेण्डा शासन के इस्लामिक प्रकार को थोपना था। सुन्नी प्रमुखता वाले पाकिस्तान में इस्लामी एजेण्डा सुन्नी अवधारणा के आस–पास घूमता था। जिन्ना इस्लामी धर्म राज्य के पक्ष में नहीं थे। लेकिन वह पाकिस्तान में मुस्लिम लोकतंत्र चाहते थे। उनके जीवनकाल में संविधान सभा ने ऐसा प्रस्ताव अंगीकृत नहीं किया। सन् 1953 में मुनीर आयोग यह व्याख्या करने में विफल रहा कि कौन मुसलमान है और कौन गैर–मुसलमान। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत वास्तविक प्रस्ताव में एक आम धारणा बनायी गयी कि इस्लाम देश का मार्ग–दर्शन रहेगा। परिणामस्वरूप गैर–मुसलमानों की स्थिति जिम्मियों जैसी हो गयी। उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया गया, लेकिन राष्ट्र प्रमुख या सरकार प्रमुख का पद ग्रहण करने का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि उन पर विश्वास नहीं किया गया था। बाद में सन् 1947 में अहमदिया वर्ग को गैर–मुसलमान घोषित किया गया और दण्ड संहिता में बहु–विवाह कानून को शामिल किया गया। अहमदिया वर्ग को इस्लामी अभिवादनों का प्रयोग करने से मना कर दिया गया।[पपप]

शियाओं को हमेशा अन्याय भुगतना पड़ता है। सैद्धान्तिक आधार पर शियाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता है। शिया–सुन्नी टकरावों एवं हत्याओं की अन्तहीन प्रक्रिया चलती रहती है। शिया तथा सुन्नियों के अपने–अपने सशस्त्र समूह है। इस विवाद को समाप्त करने की कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई देती। शियाओं को गैर–मुसलमान घोषित करने की मांग की जाती है। बलूचिस्तान में जिकरी वर्ग के मामले में भी यही बात है जो सुन्नी होने का दावा करते हैं लेकिन सुन्नी कट्टरवादी उन्हें स्वीकार करने से इंकार करते हैं।

सेना काफी समय से पाकिस्तान के शासन में अपने लिए एक भूमिका की मांग करती रही है जो संस्थागत प्रबन्ध है, उनका उद्देश्य सेना के महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का निर्माण करना है। जनरल करामत को इसी तरह के विचार रखने पर बर्खास्त कर दिया गया था। बाद में जनरल मुशर्रफ ने इस विचार को आगे बढ़ाया। इस विचार के प्रति सोच यही थी कि प्रधानमंत्री किसी ऐसी राजनीतिक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, जो सेना को पसंद नहीं करते हैं तो उन्हें रोका जाए। पाकिस्तान में वास्तविक लोकतंत्र का मतलब यह है कि लोकतंत्र पूरी तरह सेना के नियन्त्रण में हो अन्यथा लोकतंत्र की हत्या। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सैन्य शासन के इस लक्ष्य को हासिल करने का एक रास्ता 8वां संशोधन को पुनः स्थापित करने से निकलता है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी निर्वाचित प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने का मौका मिलता है। जनरल मुशर्रफ ने 12 जुलाई 2002 को दिये गये राष्ट्र के नाम संदेश में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मार्ग से विचलित प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति अपनी अध्यक्षता वाली 11 सदस्यीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा बर्खास्त कर सकती है।[पअ]

जिन्ना की मृत्यु के बाद लियाकत अली प्रधानमंत्री बने एवं ख्वाजा नजीमुद्दीन गवर्नर जनरल बने। चूँकि ख्वाजा नजीमुद्दीन पूर्वी पाकिस्तान के थे इसलिए अधिकार का हस्तानान्तरण स्वतः ही प्रधानमंत्री कार्यालय में चला गया। आबादी के हिसाब से 56 प्रतिशत जनता पूर्वी पाकिस्तान में निवास करती थी जबकि पंजाब के नेतृत्व में पश्चिमी पाकिस्तान अपने को श्रेष्ठ, योग्य एवं शासक योग्य समझती थी। लियाकत अली की हत्या के बाद क्रमशः शासन का केन्द्र बिन्दु गुलाम मोहम्मद एवं स्कन्द मिर्जा रहे। 1958 में जनरल अयूब खान सत्ता पर अधिकार कर लिये। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं को कुचलने के लिए 'पाकिस्तान राजनीतिक पार्टी' ऐक्ट

बनाया, जिसके तहत किसी भी अदालत में दोष सिद्ध होने के बाद किसी भी पार्टी के किसी भी पद पर आसीन राजनेताओं को बाहर किया जा सके। जनरल अयूब खान ने 1962 में पूर्वी पाकिस्तान के लोकप्रिय नेताओं को कुचलने के लिए कानून बनाया ताकि उन पर अपने प्रभाव का उपयोग कर विपक्षी नेताओं को दोषी करार दिया जाए उसके बाद उन्हें पदच्युत कर दिया जाए। फलतः 1962 में पाकिस्तान राजनीतिक पार्टी एक्ट के तहत आयोग्य प्रमाणित होने से पहले से ही लोकप्रिय नेता ख्वाजा नजीमुद्दीन और सुहरावर्दी ने अयूब शासन के दौरान सक्रिय राजनीति से बाहर जाना उचित समझा। 1962 के संविधान के अनुसार पदत्याग की स्थिति में राष्ट्रपति को संविधान सभा के बंगाली अध्यक्ष को सत्ता हस्तान्तरण करना था लेकिन 1969 में अयूब खान पद त्याग करते तब तक उन्होंने संविधान सभा में बंगाली अध्यक्ष को सत्ता सौंपने के बजाए जनरल याह्या खान को सत्ता सौंप दी। इस प्रकार अयूब खान जाते–जाते प्रजातांत्रिक संविधान की धज्जियाँ उड़ा दिये। जनरल याह्या खान एक शराबी जनरल था। सत्ता संभालते ही उसने राष्ट्र के नाम संबोधन के समय बीच में व्हिस्की मंगाकर पी जबकि इस्लाम में मदिरा पान निषेध है। याह्या खान के शासन के दौरान दो घटनाक्रम हमेशा याद किये जायेगें।[अ]

पहला पाकिस्तान का प्रथम आम चुनाव एवं दूसरा पाकिस्तान का बंटवारे के बाद बांग्लादेश का जन्म। सेना और राजनीतिज्ञों के बीच इस संघर्ष ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है और पाकिस्तान को अत्यन्त अस्थिर कर दिया है। आखिर सेना एक निर्वाचित असैनिक सरकार से चाहती क्या है? अवकाश प्राप्त जनरल हामिद गुल इसका जवाब देते हैं ''पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जाए। सुरक्षा के बारे में सेना की समझ सर्वोपरि है। इस पर असैनिक राजनीतिक ढाँचे के द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता।'' सारे तथ्यों का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सेना कुशासन एवं राष्ट्रीय असुरक्षा का भय दिखाकर प्रजातांत्रिक सरकार का गला घोंट देती है। पूर्व अनुभव बताते हैं कि सुरक्षा बल देश चलाने के लिये न तो प्रशिक्षित होते हैं और न ही शिक्षित। किसी भी ऐसे जनरल, जो देश भी चला रहा हो, से कोई लड़ाई नहीं जीती गई। अयूब को छोड़कर अन्य किस चीफ आर्मी स्टाफ ने उस पद को नहीं छोड़ा। मुशर्रफ को भी जनरल का पद छोड़ते ही सत्ता से हटना पड़ा था।

पाकिस्तान की आजादी के पूर्व हिन्दू मुस्लिम दंगों ने दोनों पक्षों के हजारों लोगों को मौत के मुँह में धकेल दिया। हिन्दू–मुस्लिम भयानक दंगों का प्रभाव यह हुआ कि कट्टरपंथी ताकतें पाकिस्तानी सुरक्षा बल में प्रवेश कर गयी। शुरू में कट्टरपंथी सेना में कम थे, लेकिन धीरे–धीरे इनका विस्तार होता गया। जितना विस्तार हुआ पाकिस्तानी लोकतंत्र उतना ही कमजोर हुआ। ये कट्टरपंथी भारत से आक्रमण का भय दिखाकर हिन्दुओं से अपमान का बदला लेने का वचन देकर भ्रष्टाचार के उन्मूलन का प्रतिज्ञा करके, अराजकता का अंत करने का वादा करके जब चाहें प्रजातांत्रिक सरकार को अपदस्थ करके सैनिक सरकार की स्थापना कर देते हैं। ''स्वतंत्रता के बाद सेना में कट्टरपंथी तत्वों का प्रवेश हो गया था उनका नेतृत्व मेजर जनरल अकबर खान कर रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्त के 3 माह के अन्दर वे जिन्ना को बिना पूरी जानकारी दिये कश्मीर में कबाइली आक्रमण की योजना बनायी थी। हालांकि भारतीय फौज ने उसे असफल कर दिया। जिन्ना के बाद भी लियाकत अली सरकार का तख्ता पलट कर शासन अपने हाथों में लेने के लिये उसने प्रयास किये लेकिन उसे सेना से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि इस षडयंत्र का पर्दाफाश हो चुका था। कई लेखक जिसमें कुलदीप नैयर साहब कहते हैं कि ''जिन्ना की मौत स्वाभाविक नहीं थी।'' 1951 में रावलपिंडी के मैदान में जहाँ चारों ओर सुरक्षाबल का घेरा था वहाँ एक अफगान रिफ्यूजी द्वारा प्रधानमंत्री लियाकत अली की गोली मारकर हत्या करना यह साबित करता है कि सेना के कट्टरपंथी तत्वों का इस षड़यंत्र में पूर्ण सहयोग था। लियाकत अली की हत्या ने देश में लोकतंत्र की लौ बुझाने और लम्बे समय तक सैन्य शासन का आधार तैयार करने का काम किया था। अयूब खान, याह्या खान, जियाउल हक एवं मुशर्रफ ऐसे जनरल थे जिसने प्रजातंत्र की हत्या करके निरंकुश सैनिक तंत्र की स्थापना की।[अप]

पाकिस्तान में ईश निन्दा कानून और शरीयत कानून ये दो ऐसे कानून हैं जो समानता के अधिकार को समाप्त कर प्रजातंत्र के अर्थ को अनर्थ बना देते हैं पाकिस्तान में बसने वाले अल्पसंख्यक समूहों– हिन्दुओं, ईसाईयों, सिक्खों और पारसियों की अलग–अलग समस्यायें हैं। ईसाई धर्म से जुड़े लोगों का मानना है कि उन्हें पंथिक स्वतंत्रता तो है लेकिन किसी मुसलमान की शिकायत पर उनके खिलाफ इंश–निन्दा कानून की तलवार हमेशा लटकती रहती है जैसा कि असिमा बीबी मामले में हुआ है। ये भयक्रान्त रहते हैं कि इस कानून के तहत यदि मुकदमा

दर्ज हो गया तो मौत तय है। अप्रैल 2011 में पाकिस्तान के अल्पसख्यक मामलों के मंत्री शहनाज भट्टी की हत्या ने नाभिकीय हथियारों से लैस कर कट्टरपंथी राष्ट्र उभरने के दुनिया के भय को और अधिक पुख्ता कर दिया। एक ईसाई भट्टी की जान इसलिए ली गयी क्योंकि उन्होंने विवादास्पद ईश–निंदा कानून पर अपनी आपत्ति जताई थी। इसके कुछ दिन पहले पंजाब के गवर्नर सलमान तासिर को भी कट्टरपंथियों ने अपना निशान बना लिया था। अपने उदार विचारों के लिए मशहूर तासिर भी ईश–निन्दा कानून की आलोचना की थी।[अपप]

आमतौर पर जनरल कियानी लोगों के सामने अपने विचार खुलकर रखने के लिए जाने जाते हैं लेकिन इन मामले में वे मौन साधना ही बेहतर समझे। इस विषय पर कियानी का मौन और उसके निहितार्थ के विश्लेषण से पहले तहरीर–ए–तालिबान पाकिस्तान (टी0टी0पी0) द्वारा छोड़े गये पत्र पर गौर करना उचित होगा। कियानी पंजाब के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और ऐसे पेशेवर सैनिक है जो कट्टरपंथी नहीं हो सकता। इसके बावजूद इन्होंने अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न कट्टरपंथी संगठनों का छद्म तौर पर इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के जनरलों का इतिहास रहा है कि वे धर्म का इस्तेमाल अपने को मजबूत बनाने और विरोधियों को कुचलने के लिए करते हैं।''[अपपप]

पाकिस्तान में प्रजातंत्र की सफलता एवं उसकी मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि पाकिस्तान का मुसलमान शिक्षित एवं मॉडरेट बने। परन्तु पाकिस्तान में एक तो मॉडरेट मुसलमान बहुत कम है और यदि है तो उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। 21 जुलाई 2010 के दैनिक अमर उजाला में असगर वजाहत ''हमारी खता''? शीर्षक लेख में लिखते हैं कि आज के मॉडरेट मुसलमानों की पीड़ा बताने के लिए एक बहुत अच्छा शेर है कि ''मुसलमान हूँ मैं'' मॉडरेट मुसलमान न तो इधर का है और न उधर का, जबकि इस्लाम धर्म मॉडरेट होने पर बल देता है। इस्लाम बीच के रास्ते पर चलने की शिक्षा देता है। इस्लाम धर्म यह कहता है न तो धर्म में इस तरह डूब जाओ कि संसार से संन्यास ले लो या न तो संसार में इस तरह डूब जाओ कि धर्म को भूल जाओ। इस्लाम दीन और दुखियों को साथ लेकर चलने की बात करता है लेकिन आज इस्लाम कट्टरता में प्रवेश कर गया है। पाँच वक्त नमाज पढ़ने वाला तीसों रोज रोजा रखने वाला और हज करने वाला ही पक्का मुसलमान होगा। सरकार की नजर में भी मुसलमानों का

प्रतिनधित्व कट्टरपंथी मुसलमान ही करते हैं। राजनीतिक दल यह मानते है ंकि मुस्लिम कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों को संचालित करने की ताकत रखते हैं और मॉडरेट मुसलमानों का कोई वोट बैंक नहीं है। पाकिस्तानी शासन में मॉडरेट मुसलमानों को हासिये पर रखना ही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है।[पग]

प्रजातंत्र का आधारस्तंभ स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व है। जिस देश में जिहादी गुट, धार्मिक कट्टरता, सुरक्षा तंत्र में पैठ बना ली हो। जहाँ स्वतंत्र विचार रखने पर किसी कैबिनेट मंत्री को गोली मार दी जाती हो किसी प्रान्त के गवर्ननर की हत्या कर दी जाती है। हत्यारों पर कार्यवाही तो दूर सेना जिसकी मौन स्वीकृत प्रदान करती हो वहाँ लोकतंत्र की कल्पना करना मूर्खता है। ''जब इस्लाम अपने चरम बिन्दु पर था तब मदरसों में ज्ञान के प्रत्येक प्रकार जैसे गणित, विज्ञान औषधि, खगोल विज्ञान और न्याय शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। महान मुसलमान व्यक्तियों जैसे अलबरूनी, अवेसिना और इब्द खुल्दून इन्हीं मदरसों की उपज थे। लेकिन आज के अधिकांश पाक मदरसे केवल यह बताने में लगे हैं इस्लाम केवल सही धर्म है बाकी लोग काफीर हैं। इनका नाश करके इस्लाम का विस्तार करने से ही जन्नत मिल सकती है। शिक्षण संस्थाओं का यह रूप प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है।[ग]

अतः शोधपत्र के माध्यम से पाकिस्तान की घरेलू राजनीतिक संरचना व परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया गया है। पाकिस्तान की अस्थिरता के कारणों का बेहद सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। पाकिस्तान की सत्ता संरचना में फौजी शासन एवं कट्टरपंथी दोनों ही देशों के सम्बन्धों पर कितना व्यापक प्रभाव डालता है का सूक्ष्म अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

संदर्भ ग्रन्थ :

प एस0के0 दत्ता, राजीव शर्मा (1988), ''पाकिस्तान जिन्ना से जेहाद तक'' पृ0 243

पप कुलदीप नैयर ''जिन्ना की मौत स्वाभाविक नहीं थी'' 2007 का लेख

पपप अमर उजाला सम्पादकीय 25.4.2012

पअ अबू मोहम्मद इमामुद्दीन रामनगरी ''आदर्श इस्लामिक शासन'' पृ0 17

अ एस0के दत्ता राजीव शर्मा, (1988) ''पाकिस्तान जिन्ना से जेहाद तक'' पृ0 228

अप हापर कोलिंग्स ''गन्स एण्ड यलो रोजेज'', पृ0 52

अपप जेसिका स्टर्न ''बुलेटिन ऑफ द एटेमिक साइन्टीस्ट फरवरी 2001

अपपप इण्डिया टुडे 'सेना बनाम सियात' 1 फरवरी 2012

पग तारिक अली (1988), ''इन डाग हाउस ऑन दि अबिस'' पृ0 28

ग जनरल परवेज मुशरर्फ ''अग्नि पथ'' पृ0 166